

17/3/26

पत्रावली आज पेश हुई वकील उमय पट्टा
उपस्थित अपीलान्त की ओर से जोर से
वकील एक प्रार्थना पत्र वास्ते अपील
वापस लिए जाने पेश किया, जो शा
मिले किया गया प्रार्थना पत्र का अवलोकन
किया गया वकील इसको ने अपील वापस
लिए जाने पर मौखिक सहमति जाहिर
की। अतः वकील अपीलान्त के निवेदन
पर प्रार्थना पत्र वास्ते अपील वापस
लिए जाने स्वीकार किया जाता है।
अपील अपीलान्त अपील वापस लिए
जाने के कारण इसी स्तर पर खारिज
की जाती है पत्रावली केसल शुमार
है, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर है।

जिला कलक्टर
भरतपुर